यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **10/2016** से माह **03/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हितेन्द्र चिकारा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **28.07.2020** से **07.08.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

<u>भाग-1</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की स्थापना माह अक्टूबर 2016 में की गई थी। इकाई की स्थापना के बाद यह प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी।

2. (i) **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः</u>**- इकाई द्वारा भवन एवं खेल गतिविधियों हेतु अवस्थापना विकास के कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	0.000	0.000	1.222	1.339	-0.117	1193.810	447.50	746.312
2017-18	-0.117	746.312	23.602	24.022	-0.537	1645.640	1492.176	899.776
2018-19	-0.537	899.776	57.384	54.833	2.014	2441.210	1185.808	2155.178
2019-20	2.014	2155.178	92.175	95.241	-1.053	4648.538	2966.811	3836.905

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इकाई द्वारा किसी भी केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत कार्य नहीं करवाया गया।

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा निक्षेप कार्य संपादित किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन ग्राहक विभाग द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→स्थानिक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→सहायक स्थानिक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा इकाई निष्पादित किए गए निक्षेप कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **11/2019** एवं **03/2019** (आय) तथा **01/2020** एवं **03/2019 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। भवन एवं खेल गतिविधियों हेतु अवस्थापना विकास सम्बन्धी निक्षेप कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1 ` 28.22 लाख व्ययोपरांत दो साल से भी अधिक समय से कार्य का अवरुद्ध रहना।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा (जुलाई 2020) के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा (संख्या 430/2009) के अंतर्गत मसूरी स्थित भिलाडू में स्टेडियम निर्माण कार्य खेल निदेशालय, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा निर्मित किया जाना था जिस के लिए महाप्रबंधक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को मार्च 2016 में कार्यदायी संस्था नामित किया गया।

मार्च 2016 में जारी शासनादेश तथा खेल निदेशालय के निर्देशानुसार इस इकाई द्वारा उक्त कार्य (फेज-1) हेतु ` 498.50 लाख के गठित आगणन पर टी ए सी के परीक्षण व संस्तुति उपरांत ` 497.42 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई जिस के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में जुलाई 2016 में ` 33.00 लाख तथा 2019-20 में (सितम्बर 2019) ` 50.00 लाख खेल निदेशालय द्वारा इस इकाई को अवमुक्त किए गए। प्रस्तावित स्टेडियम तथा पहुँच मार्ग की भूमि वन विभाग के अधीन होने तथा केन्द्र से उक्त भूमि पर कार्य किए जाने के प्रयोजन हेतु अनुमति मिलने से पूर्व ही इस इकाई द्वारा मै॰ बालाजी इंटरप्राईजेज़, हरिद्वार के साथ सितम्बर 2016 में ` 65.78 लाख का अनुबंध गठित किया गया (अनुबंध संख्या 15/महाप्रबंधक/2016-17) जिस में वन विभाग से अनुमति न मिलने व कार्य में अवरोध उत्पन्न होने के कारण कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका तथा जुलाई 2017 में अनुबंध का यथास्थिति अंतमीकरण/ बंद किया गया।

अभिलेखों में आगे पाया गया कि दोबारा से वर्णित कार्य हेतु वर्ष 2017-18 में ` 82.15 लाख की लागत के दो अनुबंध[1] गठित किए गए।

---

[1] जुलाई 2017 में अनुबंध सं॰ 07/परि.प्र/2017-18 कार्य लागत ` 7.38 लाख तथा सितम्बर 2017 में अनुबंध सं॰ 13/परि.प्र/2017-18 कार्य लागत ` 74.77 लाख

उक्त अनुबंधों के अंतर्गत प्रस्तावित स्टेडियम हेतु पहुँच मार्ग एवं चारदीवारी में आर सी सी पिलर एवं तारबाड़ लगाने तथा आर सी सी रिटेनिंग वॉल के कार्य निष्पादित किए जाने थे। एक अनुबंध (अनुबंध संख्या 07) के अंतर्गत 05/2018 में ठेकेदार को ` 7.20 लाख का भुगतान कर पूर्ण किया जा चुका था तथा दूसरे अनुबंध (अनुबंध संख्या 13) के अंतर्गत कार्य लागत ` 74.77 लाख के सापेक्ष प्रथम देयक के अनुसार वर्तमान तक 01/2018 में मात्र ` 13.14 लाख का भुगतान किया जा चुका था जिस के उपरांत कार्य लेखापरीक्षा अवधि तक बंद था। मार्च 2020 तक कार्य योजना पर ` 28.22 लाख का व्यय भारित किया जा चुका था। इस प्रकार कार्य स्वीकृति के लगभग चार वर्षों के अंतराल के बावजूद वन विभाग से संबन्धित वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति न मिलने के फलस्वरूप कार्य अवरुद्ध रहा ।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ग्राहक विभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत कार्य स्थल नगरपालिका क्षेत्र है जिस कारण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया गया। उत्तर में आगे बताया गया कि स्थिति से तब अवगत हुए जब वन विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के समय आपत्ति जताई गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथम बार वन विभाग द्वारा आपत्ति किए जाने व अनुबंध निरस्त किए जाने तथा अनुमति न मिलने के बावजूद वर्ष 2017-18 में दोबारा से दो अनुबंध गठित किए गए।

अतः कार्य स्वीकृति के लगभग चार वर्षों के अंतराल के बाद भी वन विभाग से संबन्धित वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति न मिलने के फलस्वरूप तथा ` 28.22 लाख के व्यय के उपरांत भी कार्य अवरुद्ध रहा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 2 : ` 16.69 लाख के व्ययोपरांत कार्य को दो वर्षों की देरी से पूर्ण किया जाना तथा कार्य के निष्पादन में अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतों का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा **जनपद-देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून में निर्मित एथलेटिक्स क्रिकेट, फुटबाल एवं वालीबाल मैदानों में मिट्टी भरान एवं समतलीकरण कार्य** हेतु **` 18.81 लाख** की धनराशि परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई थी:-

क्र.सं.	शासनादेश संख्या	अवमुक्त राशि (` लाख में)
01.	387/VI/2017-22(9)/2017 दिनांक 30.06.2017	8.00
02.	70/VI/2019-22(9)/2017 दिनांक 15.02.2019	10.81
	कुल	**18.81**

उपरोक्त शासनादेशों के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय (शर्त संख्या-07) तथा अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए (शर्त संख्या-08)।

इकाई के लेखा-अभिलेखों एवं निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि **`12,52,080/-** की लागत से कराये जाने वाले उपरोक्त कार्यों हेतु कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा दिनांक 25.07.2017 को ठेकेदार के साथ अनुबन्ध[2] गठित किया गया तथा पत्रांक संख्या 379/बैडमिंटन हॉल, रायपुर दिनांक 28.07.2017 के द्वारा ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार उपरोक्त कार्य को दो माह[3] में पूर्ण किया जाना था।

ठेकेदार को समयवृद्धि प्रदान करने के पश्चात उक्त कार्य को दिनांक 31.05.2018 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार द्वारा दिनांक 19.05.2018 की एम.बी. के आधार पर जो 3rd and Final Bill प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार अनुबन्ध में उल्लिखित मापों के अनुसार कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। पत्रावली में ऐसा कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ठेकेदार को समय पर कार्य पूर्ण किए जाने हेतु कोई नोटिस अथवा चेतावनी दी गई थी। ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के बावजूद अनुबन्ध की शर्त संख्या 37 के अनुसार न तो उसका कोंट्रेक्ट ही रद्द किया गया और न ही उसकी कोई धनराशि जब्त की गई बल्कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम

---

[2] अनुबन्ध संख्या: 03/परियोजना प्रबन्धक/2017-18

[3] कार्य प्रारम्भ की तिथि: 01.08.2017 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि: 30.09.2017

3(10) का उल्लंघन कर अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए शेष कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर अलग-अलग ठेकेदारों से करवाया गया तथा इसके लिए संबन्धित ठेकेदारों से कोटेशन भी प्राप्त नहीं की गई।

आगे जांच में पाया गया कि आगणन/अनुबन्ध में उल्लिखित मदों से इतर कार्य (Grassing with carpet gram) भी करवाया गया था तथा कार्य की मदों में 93 से 100 प्रतिशत तक का वेरिएशन होने के बावजूद न ही कोई वेरिएशन स्टेटमेंट बनाया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से इसकी कोई स्वीकृति ली गई थी। उपरोक्त कार्य को लगभग दो वर्षों की देरी के बाद पूर्ण किया गया था।

इकाई द्वारा उक्त कार्य हेतु एस्टीमेट एवं अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न मदों में प्रस्तावित एवं वास्तव में कराई गई कार्य की मात्रा तथा कार्य पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

Table 1: Details of Work executed

S.No	Description of Work	Quantity executed by Contractors (in Cum)					Total Quantity executed	Quantity which was to be executed as per Estimate/ Agreement	Excess
		Sh. S.K. Aggarwal	Sh. Mohan Singh Rawat (Work Order dt 08.03.19)	Sh. Rijwan Ali (Work Order dt 29.07.19)	Sh. Mohan Singh Rawat (Work Order dt 29.07.19)	Sh. Mohan Singh Rawat (Work Order dt 30.08.19)			
1	Supplying and stacking of good earth at site of Athletic ground, football ground and volleyball ground.	566.00	448.50	30.33	397.50	449.50	1891.83	980.00	911.83 (93%)
2	Filling available excavated earth (excluding rock) in ground etc.	566.00	448.50	30.33	397.50	449.50	1891.83	980.00	911.83 (93%)
3	Supplying and filling iin ground with sand including watering ramming, consolidating and dressing complete.	438.80	46.62	1208.87	39.75	17.97	1752.01	880.00	872.01 (99%)
4	Grassing with carpet gram	0	0	1208.87	0	0	1208.87	0	1208.87 (100%)

Table 2: Details of Expenditure

S.No.	Name of Contractor	Date of Payment	Total Amount of Work `
01.	Sh. S.K. Aggarwal	28.06.2019	679534
02.	Sh. Mohan Singh Rawat	23.05.2019	248552
03.	Sh. Rijwan Ali	24.08.2019	246589
04.	Sh. Mohan Singh Rawat	21.09.2019	245350
05	Sh. Mohan Singh Rawat	23.09.2019	248709
		Total	**1668734**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि तत्कालीन समय परिसर में खेल आयोजित हो रहे थे जिस कारण ठेकेदार को मैदान उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे तथा ठेकेदार पक्ष से कोई गलती न होने के कारण उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु असमर्थता जताई गई जिसके कारण उसका अंतिम देयक प्रस्तुत किया गया। मदों में विचलन के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने बताया कि मदों एवं मदों की मात्रा में हुए विचलन से संबन्धित वेरिएशन स्टेटमेंट तैयार कर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृती प्राप्त कर ली जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि ठेकेदार को समयवृद्धि प्रदान करने के पश्चात भी उसके द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया था। समय पर कार्य पूर्ण किए जाने हेतु ठेकेदार को न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी जिसके कारण इकाई को उक्त कार्य पर अनुबन्ध की धनराशि से `4,16,654/- की अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ी। इकाई द्वारा शासनादेशों के निर्देशानुसार न तो कार्य को समय पर पूर्ण कराया गया था और न ही कार्य के निष्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 03: भूमि की उपलब्धत्ता सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप रुपये 39.59 लाख के व्यय उपरान्त भी कार्य अपूर्ण।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा "स्व. चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज, दिनेशपुर, विकासखण्ड – गदरपुर, जनपद-उधमसिंहनगर में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य" हेतु रुपये 389.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2018 में प्रदान की गयी थी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण ईकाई (खेल), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के अभिलेखों के ज्ञात हुआ था कि उक्त स्वीकृति के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले कार्यों में से फुटबॉल मैदान एवं दर्शक दीर्घा के निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु महाप्रबंधक (गढ़वाल), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा ठेकेदार "M/s महालक्ष्मी कन्सट्रकशन, काशीपुर (ज़िला उधमसिंह नगर)" के साथ रुपये 204.79 लाख का अनुबंध संख्या – 26/GM/2018-19 दिनाँक – 07.03.2019 को गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं समाप्त करने की तिथि क्रमश: 08.03.2019 एवं 07.03.2020 थी तथा कार्यालय के अभिलेखोनुसार वर्तमान तक उक्त कार्य के सापेक्ष इकाई द्वारा ठेकेदार को रुपये 39.59 लाख का भुगतान किया जा चुका था।

आगे जाँच में पाया गया था कि माह – 01/2020 तक उक्त कार्यों में से दर्शक दीर्घा के निर्माण का कार्य तो लगभग पूर्ण किया जा चुका था परंतु खेल/ फुटबॉल मैदान के कार्यस्थल पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, दिनेशपुर का पुराना भवन अवस्थित होने के कारण फुटबॉल मैदान का निर्माण किया जाना संभव नहीं था। उक्त पुराने भवन के स्थान पर कुछ ही दूरी पर नवीन भवन का निर्माण चल रहा था जिसके पूर्ण न होने के कारण उक्त स्कूल को स्थानांतरित किया जाना संभव नहीं था। पुराने भवन को ध्वस्त कर मैदान का निर्माण किया जाना था तथा भवन के ध्वस्तिकरण की कार्यवाही राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, दिनेशपुर के प्रशासन द्वारा की जानी थी।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के उपरोक्त नियम के अनुसार, विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु भूमि की उपलब्धत्ता सुनिश्चित किए बिना अनुबंध गठित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था। परंतु विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धत्ता सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि बीत जाने के 5 माह उपरान्त भी विभाग द्वारा केवल 20 प्रतिशत वित्तीय प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी एवं कार्य अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि वर्तमान में इंटर कॉलेज के भवन के ध्वस्तिकरण की कार्यवाही गतिमान है। यह भी कि वर्तमान तक दर्शक दीर्घा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग 6 माह से कार्य बंद है।

कार्य के अपूर्ण होने एवं विगत कई माह से कार्य बंद होने के संबंध में विभाग का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में इंटर कॉलेज के भवन के ध्वस्तिकरण की कार्यवाही गतिमान होने के संबंध में विभाग द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अत: विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धत्ता सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप रुपये 39.59 लाख के व्यय उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर- 4: नियोजन के अभाव के कारण अपूर्ण व अनियमित कार्य निष्पादन ।

38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दृष्टिगत खेल विभाग, उत्तराखंड के अंतर्गत परेड ग्राउंड देहरादून में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाना था जिस के लिए मार्च 2016 में शासन

क्रम संख्या	अनुबंध सं	अनुबंधित राशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	वर्तमान तक व्यय
01	14/जीएम/2016-17	647.67	01/10/2016	30/09/2017	264.59
02	02/जीएम/2017-18	146.99	03/07/2017	02/10/2017	203.07

द्वारा ` 1439.06 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त कार्य हेतु अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखंड पेयजल निगम, देहारादून को जुलाई 2016 में कार्यदायी संस्था नामित किया गया। वर्णित कार्य हेतु मुख्य सामग्री अंश का कार्य कोटेशन प्राप्त कर संपादित किया जाना था तथा केवल श्रमिक अंश की निविदा प्राप्त कर अनुबंध गठित किए गए जिन का विवरण निम्नवत है:

(` लाख में)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहारादून की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि

- विस्तृत आगणन में शामिल नॉन शैडयूल्ड मदों की निर्धारित दरों के आधार से संबन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
- कार्य 2016 में ही प्रारम्भ किया गया परंतु कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जुलाई 2018 में प्रदान की गयी।

- अनुबंध सं. 14/जीएम/2016-17 के अंतर्गत इन्डोर स्टेडियम का पूर्ण निर्माण कार्य कराया जाना था जिस के अंतर्गत 190 कार्य मदों के सापेक्ष मात्र 27 कार्य मद निष्पादित किए गए तथा डिजाइन में परिवर्तन कर स्टील कॉलम एवं ट्रस के निर्माण हेतु नया अनुबंध 02/जीएम/2017-18 गठित किया गया।
- संबंधित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि स्टील कॉलम एवं ट्रस के निर्माण से संबंधित अनुबंध संख्या 02/जीएम/2017-18 के अंतर्गत कार्य जुलाई 2017 में प्रारम्भ किया गया परंतु आई आई टी रुड़की से ट्रस डिजाइन की जांच वर्ष 2018 में कराई गई जिन के द्वारा ट्रस के मूल डिजाइन में परिवर्तन किया गया। उक्त परिवर्तन से मदों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप अनुबंध की लागत ` 146 .99 लाख से बढ़ कर ` 315.06 लाख हुई। अतः अनुबंध की मूल लागत में 114 प्रतिशत वृद्धि हुई जिस में से वर्तमान तक ` 203.07 लाख का भुगतान किया जा चुका था तथा कार्य स्वीकृति से लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2020) तक चार वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बावजूद अपूर्ण था।
- स्वीकृत पूर्व डिजाइन तथा नए डिजाइन के संबंध में शासन की स्वीकृति से संबंधित कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी।
- उक्त कार्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दृष्टिगत स्वीकृत कराया गया था जिस के लिए समयबद्ध तरीके से उक्त कार्य संपादित कराया जाना चाहिए था परंतु जुलाई 2016 से वर्तमान तक कार्य अपूर्ण था तथा कुल अवमुक्त धनराशि ` 1439.06 लाख के सापेक्ष ` 828.00 लाख कार्य पर भारित किए जा चुके थे जिस का विवरण अभिलेखों में निम्नवत पाया गया:

अवमुक्त धनराशि	व्यय विवरण				
	प्रतिशत प्रभार की कटौती	ठेकेदारों को भुगतान		कार्य पर भारित अन्य व्यय (सामग्री क्रय सहित)	विद्युत खण्ड को निर्गत
		14/जीएम/16-17	02/जीएम/17-18		
1439.06	92.69	271.46	202.07	236.78	25.00

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तर में बताया गया उक्त कार्य राष्ट्रीय खेलों से संबन्धित होने के कारण सचिव (खेल), खेल विभाग एवं शासन से नियुक्त आर्किटेक्ट द्वारा लगातार स्थलीय भ्रमण किया जाता रहा जिस में स्टील कॉलम एवं ट्रस निर्माण संबंधी निर्णय लिया गया। उक्त डिजाइन में परिवर्तन के कारण निष्पादित मात्रा में विचलन हुआ। उत्तर में आगे बताया गया कि मूल प्राक्कलन एन.बी.सी.सी. (National

Buildings Construction Corporation, Ltd.) द्वारा तैयार किया गया था तथा नॉन शैडयूल्ड मदों की दरें भी उन्ही के द्वारा तैयार की गयी थीं। अनुबंध गठन से पूर्व आई आई टी रुड़की से डिजाइन की उपयुक्तता की जांच न कराए जाने के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के दृष्टिगत निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया गया जिस के कारण आई.आई.टी. रुड़की से डिजाइन की उपयुक्तता की जांच अनुबंध गठन से पूर्व कराया जाना संभव नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखते हुए जिस कार्य का निष्पादन आई.आई.टी. रुड़की से डिजाइन की उपयुक्तता की जांच कराए बिना शीघ्रता में प्रारम्भ किया गया, वह कार्य लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2020) तक अपूर्ण पाया गया। इसके अतिरिक्त डिज़ाइन में बार-बार परिवर्तन के निर्णय तथा शासन से स्वीकृति के संबंध में कोई भी अभिलेख/साक्ष्य इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

अतः डिजाइन में बार बार परिवर्तन किए जाने से यह स्पष्ट है कि इकाई में उक्त कार्य से संबन्धित नियोजन का अभाव था जिस के फलस्वरूप कार्य निष्पादन अपूर्ण व अनियमित रहा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
इस इकाई की स्थापना माह अक्टूबर 2016 में की गई थी। इकाई की स्थापना के बाद यह प्रथम लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग – IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ: **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री पी.एस. रावत	परियोजना प्रबन्धक	26.12.16 से 30.11.17 तक
02.	श्री सी.एस. रजवार	परियोजना प्रबन्धक	06.12.17 से 07.09.18 तक
03.	श्री राकेश चन्द्र	परियोजना प्रबन्धक	07.09.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई (खेल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 8, मोहित नगर, देहरादून – 248006** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/02 दिनांकित 10.08.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाय।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)